150

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1662-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-5-2012 - पारित व्दारा कलेक्टर जिला छतरपुर - प्र0क0 124 अ-6-अ/2010-11 अपील

माधव प्रसाद पुत्र छोटेलाल ब्राहमण
निवासी नैगवॉ तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

श्रीमती नरबदिया पत्नि परमलाल
निवासी नैगवॉ तहसील नोनॉव
जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 124/2010-11 अ-6-अ अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नैगवॉ स्थित आराजी क्रमांक 953 पुराना खसरा नंबर 786/2/1 को पटवारी नक्शे में एंव पटवारी अभिलेख में सुधार का आदेश अधीक्षक भू अभिलेख/भू प्रबंधन ने प्रकरण क्रमांक 39/अ-6-अ/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 24-12-10 से दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 124/2010-11 अ-6-अ प्रस्तुत की। कलेक्टर छतरपुर ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 22-5-12 पारित किया तथा आवेदक की अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान आपत्ति की कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 22-5-12 के विरूद्व द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में ग्राह्य नहीं है क्योंकि प्रथम अपील कलेक्टर को होने के वाद द्वित्तीय अपील आयुक्त को होगी एंव आयुक्त के आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी होगी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि यदि अनावेदक के तर्क सही है तब भी न्यायदान की दृष्टि से अपील को निगरानी में बदलकर आदेश पारित किया जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के विरूद्व प्रथम अपील कलेक्टर को प्रस्तुत करने के वाद द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को

होगी एंव संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है । मौजूदा हालात में प्रकरण का पेटा पूर्ण है तथा अंतिम बहस के दौरा अपील को निगरानी में बदलकर द्वित्तीय पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता एंव विचाराधीन अपील सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत होने पर अग्राह्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है, परिणामतः कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 124/2010-11 अ-6-अ अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-12 अंतिम रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर